प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ ।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश ।
(संलग्न सूची के अनुसार)

पत्रांक–645/कार्यक्रम/बायोगैस/2010–11 लखनऊःदिनांकः 6 जुलाई, 2010

विषय–वित्तीय वर्ष 2010–11 में राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–719/38–9–2010–03बजट/09, दिनांक 23 जून, 2010 (छाया प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में रू0 1,08,46,800/– (रूपये एक करोड़ आठ लाख छियालीस हजार आठ सौ मात्र) आयुक्त, ग्राम्य विकास के निवर्तन पर रखने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। शासन द्वारा स्वीकृत उक्त धनराशि में से रू0 8783359.00 (रूपये सत्तासी लाख तिरासी हजार तीन सौ उनसठ मात्र) संलग्नक में उल्लिखित विवरण के अनुसार तथा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जा रही है :–

1– आवंटित धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा निर्धारित मदों पर उनके मार्गनिर्देशों के अनुसार ही किया जाये और किसी नई मद के व्यय को इससे पूरा नहीं किया जाये ।

2– भारत सरकार के दिशा–निर्देशों तथा उक्त शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात मुख्य/वरिष्ठ/वित्त एवं लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा । यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन होता है, तो संबंधित मुख्य/वरिष्ठ/वित्त एवं लेखाधिकारी का दायित्व होगा कि पूर्ण विवरण सहित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध करायें ।

3– इस संबंध में होने वाले व्यय को चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के अधीन लेखा शीर्षक–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–आयोजनागत–102–सामुदायिक विकास–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–01–राष्ट्रीय परियोजना बायोगैस विकास संयंत्रों की स्थापना (केन्द्रांश–100 प्रतिशत/राज्यांश–0 प्रतिशत)–27–सब्सिडी के नामे डाला जायेगा ।

आवंटित धनराशि के सापेक्ष समय–समय पर होने वाले आहरण की सूचना कोषागार बाउचर संख्या व दिनांक सहित आहरण के अगले माह की 05 तारीख तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(संजीव कुमार)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास, उ0प्र0 ।

पत्रांक— /कार्यक्रम/बायोगैस/2010—11 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।

2— महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।

3— संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

4— संयुक्त सचिव, नवीन एवं नवीकृत ऊर्जास्रोत मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।

5— विशेष सचिव, ग्राम्य विकास अनुभाग—9, उ0प्र0 शासन को शासनादेश संख्या—719/38—9—10—03बजट/09, दिनांक 23 जून, 2010 के संदर्भ में ।

6— सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।

7— सम्बन्धित जिला विकास अधिकारी, उ0प्र0 ।

8— वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—2/वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—2/वित्त (संसाधन) केन्द्रीय सहायता अनुभाग ।

9— ग्राम्य विकास अनुभाग—3 ।

10— गार्ड फाईल हेतु ।

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त (लेखा),
ग्राम्य विकास, उ0प्र0 ।

Annexure of Letter No. /Karyakram/Biogas/Budget/2010-11 Dated : July, 2010

		(Amounts in Rs.)
Sl.No.	**District Name**	**Budget Allotement**
1	2	3
1	GHAZIABAD	208300
2	BULANDSHAHAR	208700
3	G B NAGAR	1100
4	BAGPAT	141100
5	SAHARANPUR	40200
6	MUZZAFARNAGAR	24900
7	MORADABAD	273300
8	RAMPUR	198100
9	JYOTIBAPHULEY NAGAR	77900
10	BARELLY	128000
11	BADAUN	122700
12	SHAHJAHANPUR	275200
13	AGRA	48100
14	MAINPURI	44100
15	FIROZABAD	100000
16	MATHURA	164600
17	ALIGARH	126600
18	ETAH	98100
19	MAHAMAYA NAGAR	2100
20	KANSHIRAMNAGAR	61600
21	JHANSI	44100
22	JALAUN	1200
23	LALITPUR	75100
24	BANDA	4100
25	MAHOBA	33100
26	CHITRAKOOT	9600
27	ALLAHABAD	107400
28	FATEHPUR	50100
29	PRATAPGARH	134700
30	KAUSHAMBHI	22100
31	KANPUR NAGAR	165200
32	ETAWAH	59400
33	FURRUKHABAD	232800
34	ORRIYA	450300
35	VARANSI	34800
36	GHAZIPUR	404500
37	JAUNPUR	387800
38	CHANDAULI	5900
39	MIRZAPUR	154259
40	SONBHADRA	35100

CONTD ... 2

Sl.No.	District Name	Budget Allotement
1	2	3
41	SANT R. NAGAR	69100
42	~~LUCKNOW~~	~~116200~~
43	SITAPUR	167900
44	UNNAO	239000
45	HARDOI	13700
46	LAKHIMPUR KHERI	387200
47	RAEBAREILLY	475000
48	DEORIA	79200
49	MAHRAJGANJ	203200
50	BASTI	391200
51	SIDHARTHA NAGAR	282200
52	SANT KARBIR NAGAR	27500
53	AZAMGARH	178500
54	MAUNATH BHANJAN	106200
55	BALLIA	52700
56	FAIZABAD	13200
57	BARABANKI	59300
58	SULTANPUR	35500
59	AMBEDKAR NAGAR	236200
60	BAHRAICH	342700
61	GONDA	140200
62	SHRAVASTI	195100
63	BALRAMPUR	216000
	Total ::	8783359

(Rs. Eighty Seven Lacs Eighty Three Thousand Three Hundred Fifty Nine only)

(Mahesh Kumar Agnihotri)
Additional Commissioner (Accounts)
Rural Development, U.P.

संख्या–719/38–9–10–03 बजट/09

प्रेषक,

आर0एन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–9 लखनऊ दिनाक 23 जून, 2010

विषयः–वित्तीय वर्ष 2010–11 में राष्ट्रीय बायोगैस कार्यकम के अन्तर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–469/कार्य0/बायोगैस/2009–10 दिनॉक 07 मई, 2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय बायोगैस ~~—————~~ कार्यकम के कियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष–2010–2011 में धनराशि रू0–1,08,46,800/–(रूपये एक करोड़ आठ लाख छियालिस हजार आठ सौ मात्र) आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धो/शर्तो के अधीन प्रदान करते है:–

(1)– स्वीकृत की जा रही इस धनराशि को भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने के पश्चात ही व्यय हेतु संबंधित जनपदो को उपलब्ध कराई जायेगी।

(2)– यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि नियमानुसार व्यय भारत सरकार द्वारा निर्धारित मदों पर उनके मार्गनिर्देशो के अनुसार ही किया जाये और किसी नयी मद के व्यय को इससे पूरा न किया जाय। आवश्यकतानुसार धनराशि आहरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि यह धनराशि भारत सरकार से राज्य सरकार के खाते में प्राप्त हो चुकी है।

(3)– इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन होता है, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि पूर्ण विवरण सहित मामले की सूचना शासन को देंगें।

2– तत्सम्बन्धी व्यय को चालू वित्तीय वर्ष 2010–2011 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के अधीन लेखा शीर्षक–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यकम– आयोजनागत–102–सामुदायिक विकास–01–केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाए–01–राष्ट्रीय परियोजना बायोगैस विकास संयंत्रों की स्थापना (केन्द्रांश 100 प्रतिशत/राज्यांश–0 प्रतिशत)–27–सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0संख्या ई–2–387/दस–10, दिनॉक 01–6–2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है ।

भवदीय,

(आर0एन सिंह)
विशेष सचिव,

संख्याः—71(1)/38—9—10तददिनॉक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2— निदेशक,कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।

3— संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

4— कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5— संयुक्त सचिव, नवीन एवं नवीकृत उर्जास्रोत मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली।

6— वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—2/वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—2/वित्त (संसाधन) केन्द्रीय सहायता अनुभाग।

7— ग्राम्य विकास अनुभाग—3

8— गार्ड बुक।

आज्ञा से,

R S ewak

(राम सेवक)

o/c अनु सचिव।